संख्या-42/2021/बी-2-349/दस-2021-एम61/2019

प्रेषक,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 31 दिसम्बर, 2021

विषय-प्रदेश सरकार द्वारा संग्रहित 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का नगर निकायों को अंतरण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में वित्त विभाग के अनुदान संख्या-61 के लेखाशीर्ष -"2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 03-राज्य सरकार द्वारा संग्रहित 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का नगर निकायों को अंतरण, 42-अन्य व्यय" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 50.00 करोड़ **(**रूपये पचास करोड़ मात्र**)** को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक**,** नगरीय निकाय निदेशालय**,** उ0प्र0 के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि आपके निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि धनराशि का अंतरण निकायों को किया जायेगा।

(2) धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर ही कोषागार से आहरित की जाएगी।

(3) आवंटित धनराशि कोषागार से आहरित कर निकायों को उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) आवंटित धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में कर लिया जायेगा।

(5) निकायों द्वारा धनराशि के आहरण की सूचना, वाउचर संख्या व दिनांक सहित, निदेशक, स्थानीय निकाय उनसे प्राप्त करेगें तथा संहत सूचना शासन के वित्त विभाग व नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

(6) नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन व निदेशक, नगरीय निकाय, उ.प्र. द्वारा, उपरोक्तानुसार स्वीकृत व आवंटित की गयी धनराशि के उपयोग की समीक्षा की जायेगी।

2- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 के अन्तर्गत ''लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास, 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 03-राज्य सरकार द्वारा संग्रहित 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का नगर निकायों को अंतरण, 42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-42/2021/बी-2-349(1)/ दस-2021-एम61/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- अपर मुख्य सचिव नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
5- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।
7- नगर विकास अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।